अपील /04/2022 न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

1—तालेवर पुत्र श्री बसन्ता । जाति जाटव निवासी बझेरा तहसील भरतपुर
2—बदनसिंह पुत्र बसन्ता ।

.....अपीलान्ट

बनाम

1— नगर विकास न्यास भरतपुर सचिव,
2— तहसीलदार भरतपुर

..... रेस्पो0

अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 1696 दिनांक 13—7—2013 तहसीलदार भरतुर बाके ग्रांम अनाह तहसील व जिला भरतपुर, बाबत आराजी खसरा नम्बर 65 व 66 बाके ग्रांम अनाह तहसील भरतपुर।

निर्णय

दिनांक 20.09.2024

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 व खिलाफ आदेश तहसीलदार भरतपुर नामान्तकरण संख्या 1696 दिनांक 13—07—2013 पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1696 नगर सुधार न्यास भरतपुर के हक में स्वीकार किया गया है। उक्त नामान्तकरण से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. एवं पत्रावली तहत तलब की गई। तहसीलदार भरतपुर के पत्र क्रमांक एल.आर./23/558 दिनांक 27.1.2022 से नामान्तकरण की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 65/0.13 , 66/0.06 72/0.49 ग्रांम अनाह तहसील भरतपुर अपीलान्ट के पिता बसन्ता से विरासत में प्राप्त हुई है। तहसीलदार भरतपुर ने अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1996 से रेस्पो संख्या 1 नगर विकास न्यास भरतपुर के नाम दर्ज कर दी गई है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि नामान्तकरण स्वीकार करने से पूर्व अपीलान्ट खातेदार को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। तहत न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई नोटिस वगे. जारी नही किये हैं। तहत न्यायालय ने विवादित आराजी को नगर विकास न्यास के नाम दर्ज से पूर्व अपीलान्ट को कोई मुआवजा राशि अथवा आराजी के बदले आराजी नहीं दी गई है। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

कि जब अपीलान्ट को आराजी का उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है तब तक तहत न्यायालय ने अपीलान्ट की आराजी को नगर विकास न्यास के नाम दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलाधीन नामान्तकरण का लाभ उठाकर अनेक व्यक्तियों ने अवैध विक्रय पत्रों व इकरारनामाओं के आधार पर गलत भूखण्ड दर्शाते हुये पट्टो की कार्यवाही की जा रही है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 1696 दिनांक 13–7–2013 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

पैरोकार सरकार ने जाहिर किया कि नामान्तकरण संख्या 1696 दिनांक 13–7–2013 नगर विकास न्यास भरतपुर के आदेश के अनुपालन में खोला जाकर स्वीकार किया गया है। पैरोकार सरकार का यह भी कथन है कि विवादित आराजी की कोई आपत्ति कार्यवाही नहीं की गई है, अतः अपीलान्ट किसी प्रकार मुआवजा पाने का हकदार नहीं है। विवादित आराजी पर विक्रय पत्रों एवं इकरारनामा के आधार पर पट्टे दिये जाने एवं नही दिये जाने बाबत अपीलान्ट को नगर विकास न्यास भरतपुर के यहॉ कार्यवाही करनी चाहिये थी। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गोर किया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1696 दिनांक 13–7–2013 का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण के प्रथम पेज में अंकित नोट इन्द्राज से स्पष्ट है कि यह नामान्तकरण नगर विकास न्यास भरतपुर के आदेश दिनांक 14.6.2012 की पालना में दर्ज किया जाकर नगर विकास न्यास भरतपुर के हक में स्वीकार किया गया है, तहसीलदार भरतपुर ने नगर विकास न्यास भरतपुर के आदेश दिनांक 14.6.2012 की पालना की है, जिसमें उसने कोई त्रुटि नहीं की है। अगर अपीलान्ट को कोई एतराज था तो उसे नगर विकास न्यास भरतपुर के उक्त आदेश के खिलाफ सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये थी। जहॉ तक अपीलान्ट का यह कहना कि कुछ व्यक्तियों द्वारा फर्जी विक्रय पत्रों एवं इकरारनामा के आधार पर पट्टे जारी कराये जाने का है इस सम्बन्ध में अपीलान्ट को नगर विकास न्यास भरतपुर के यहॉ अपनी चाराजोही करनी चाहये थी। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 1696 में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।
निर्णय आज दिनांक 20.9.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर